क्रम-संख्या—2009

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1918/सत्रह-वि-1-1(क)-22-1989

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 6 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी----------पदेन"

धारा 9 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा ।

(4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी हैं, उपस्थित न हों ।"

धारा 23 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मंदिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

No. 1918(2)/XVII-V--1-1(Ka)22-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Mandir (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989 :—

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE (AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act no. 23 of 1989]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1989.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 29 of 1983

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), after clause (*h*), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(i) The Chief Executive Officer .....*ex-officio*."

3. In section 9 of the principal Act, *for* sub-sections (3) and (4), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 9

"(3) A member specified in clause (*b*) of sub-section (2) of section 6 may authorise in writing any person who is a Hindu and a member specified in clause (*c*) or clause (*d*) or clause (*e*) or clause (*f*) of that sub-section may, if he is unable to attend any meeting of the Board, likewise authorise an officer not below the rank of Joint Secretary in his department, to attend such meeting and the person or officer so authorised shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

(4) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least five members including persons or officers authorised under sub-section (3) are present."

4. In section 23 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 23

"(3) Without prejudice to any other mode of recovery available, any liquidated amount of money due to the Deities Board or Temple Fund shall, on the certificate of the Chief Executive Officer, be recoverable as arrears of land revenue."

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 150 सा० (विधा०)—(2357)—1989—850 (मेक०)।